Next Page | Print Form

एफ 30
राजस्व

परिशिष्ट –'ब'

केन्द्रीय सरकार के विभागों एवं प्रतिष्ठानों को राजस्व–विभाग के परिपत्र क्रमांक : पं. 4 (16) राज./4/85 दिनांक 02 मार्च 1987 के अनुसरण में भूमि का आवंटन।

1– प्रार्थी विभाग/प्रतिष्ठान का नाम

2– आवंटन का प्रयोजन

3– क्या आवंटन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है — No

4– क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिये पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है ? — No
(यदि हां तो विवरण दिया जावे)

5– क्या पूर्व आंवटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है ? — No

6– क्या पूर्व मुं भूमि आवंटन के विरूद्ध कीमत जमा हो चुकी है ? (यदि बकाया हो तो विवरण दें) — No

7– आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण

1. तहसील
2. नाम ग्राम
3. खसरा नम्बर
4. किस्म भूमि
5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल
6. प्रस्तावित क्षेत्रफल
7. जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है — No

8. क्या प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है — No

9. पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें

8– यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो :–

अ– पशु संख्या

ब – प्रस्तावित आवंटन के उपरान्त अब ग्राम में शेष चरागाह भूमि

स– क्या यह चरागाह भूमि पशु संख्या के अनुपात मे पर्याप्त है — No

द– यदि नही, तो चरागाह भूमि हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है ?

9– क्या भूमि नगरीय क्षेत्र/ इसकी पेराफेरी (1 कि.मी.) क्षेत्र में स्थित है ? — No

10– भूमि जिस स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में है उसकी निरापत्ति (निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)

11– नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की राय संलग्न करें, सहमत है या नही है — No

12– क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है — No

13– नगरीय क्षेत्र/इसकी पेरा फेरी/ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में स्थित होने पर आबादी भूमि की प्रचलित बाजार दर, यदि आवंटन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है तो, वाणिज्यिक दर से अवगत कराये

14– ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के बाहर स्थित होने पर सम्बन्धित कृषि–भूमि की प्रचलित बाजार दर

15– ग्राम की आबादी (2001 की जनगणना अनुसार)

16– वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क की दर

17— भूमि की कुल कीमत (विषयान्तर्गत परिपत्र के अनुसार)

18— वाणिज्यिक प्रयोजन होने पर कुल रूपान्तरण शुल्क (यदि लागू हो)

19— पूंजीगत मूल्य (यदि लागू हो)

20— जिला कलक्टर की टिप्पणी

जिला कलक्टर